



प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस  
शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.




Website : <https://govhamidiacollege.com/> Ph.-Fax No. 0755-2660447, 2660081 Email – heghaaccbho@mp.gov.in

## खुली निविदा

(सुरक्षा गार्ड एजेंसी की नियुक्ति के लिये खुली निविदा का प्रकाशन)

महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा सुरक्षा गार्ड की सेवाएं प्राप्त करने के लिये पर्याप्त अनुभव रखने वाली सुरक्षा गार्ड एजेंसियों से मोहरबन्द निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। यह नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी जिसे कार्य संतोषजनक होने पर एक वर्ष ओर बढ़ाया जा सकेगा। सुरक्षा एजेंसी को प्रत्येक 08 घण्टे की पाली के लिए 02 सुरक्षा गार्ड प्रदान करने होंगे कुल सुरक्षा गार्डों की संख्या 06 होगी।

निविदा की आवश्यक शर्तों का विवरण महाविद्यालय की बेवसाइट <https://govhamidiacollege.com/> पर उपलब्ध है। निविदा आवेदन के मोहरबन्द प्रस्ताव प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 26.08.2024 तक रहेगी। निविदा आवेदन पत्र का प्रारूप महाविद्यालय से कार्यालय से कार्यालयीन समय में निर्धारित शुल्क भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित अंतिम तिथि और कार्यालयीन समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

  
(डॉ. पुर्णिमा चौकसे)  
प्राचार्य

Principal,  
Govt. Hamidiya Arts & Comm. College  
BHOPAL (M. P.)



# प्रधानमंजी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस

## शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.



Website : <https://govhamidiacollege.com/> Ph.-Fax No. 0755-2660447,2660081 Email – heghaaccbho@mp.gov.in

### जनभागीदारी समिति

शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.  
(पंजीयन क्रमांक भो.हो.सं./4867 / 97 दिनांक 11.06.1997)

### विज्ञप्ति

शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय भोपाल (हाथीखाना बुधवरा) में जनभागीदारी समिति द्वारा सिक्यूरिटी गार्ड की सेवा हेतु सुरक्षा एजेंसी की नियुक्ति के लिये खुली निविदा बंद लिफाफे में निम्न शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है।

#### सुरक्षा एजेंसी की नियुक्ति की शर्त—

1. सिक्यूरिटी सेवा प्रदान करने वाली संस्था को म.प्र. शासन के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज निविदा आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न किये जाने चाहिए।
2. आपके द्वारा जिलाध्यक्ष द्वारा दैनिक मजदूरी की नवीनतम देय दर से कम दर पर निविदा मूल्य नहीं लिखा जाना चाहिये। जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से कम दरों पर प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी। (कुल 30 दिवस दैनिक मजदूरी की से)
3. प्रति सिक्यूरिटी गार्ड के भुगतान की दर प्रतिमाह (30 दिवस) अनुसार निविदा में अनिवार्य रूप से अंकित की जानी चाहिए। सिक्यूरिटी गार्ड को प्रतिदिन 8 घंटे सिक्यूरिटी सेवा प्रदान करनी होगी। अंकित की जाने वाली निविदा राशि (जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर कम नहीं) इस प्रकार कुल 30 दिवस की गणना के बाद समस्त प्रकार के केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय संस्थाओं को देय समस्त प्रकार के तर्तमान में प्रभावशील करों सहित तथा (जीएसटी यदि देय हो) जीएसटी देय राशि को जोड़ते हुये एवं सुरक्षा गार्ड को आपके द्वारा दी जाने वाली समस्त सुविधाओं तथा ईपीएफ में जमा की जाने वाली राशि को सम्मिलित करते हुये स्पष्ट रूप से प्रतिगार्ड आपके प्रतिमाह (30 दिवस) की दर राशि स्पष्ट रूप से आवेदन पत्र के प्रारूप में कॉलम नं. 11 में लिखें। इस कॉलम में उल्लेखित दर के साथ किसी प्रकार की शर्त/राशि/कर अन्याय उल्लेखित करने पर निविदा निरस्त की जायेगी।
4. आपको सुरक्षा गार्ड के लिये मासिक भुगतान के समय प्रत्येक माह की गणना 30 दिवस के मान से ही की जायेगी।
5. आपको सुरक्षा गार्ड को दी जाने वाली राशि का भुगतान सुरक्षा गार्ड के बैंक खाते में ही जमा कर करना होगा।
6. निविदा आवेदन पत्र का आवेदन शुल्क 500/- निर्धारित है। महाविद्यालय में उपस्थित होकर 500/- रुपये का आवेदन शुल्क एटीएम के द्वारा पीओएस मशीन पर स्वाईप कर प्रदाय की गई रसीद के आधार पर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।
7. निविदा आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि 25000/- रुपये का बैंक ड्रापट वार्ते प्राचार्य/सचिव, जनभागीदारी समिति, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय भोपाल के नाम पर जमा करना अनिवार्य है। जो सुरक्षा एजेंसी के रूप में नियुक्ति न होने की स्थिति में वापस योग्य होगा। धरोहर राशि का बैंक ड्रापट संलग्न न करने पर आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।
8. महाविद्यालय कार्यालय में निविदा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 26.08.2024 है। निविदा बंद लिफाफे में सील करके भेजें। विलंब से प्राप्त निविदायें मान्य नहीं की जायेगी। कार्यालयीन समय में ही आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।
9. प्रत्येक 8 घंटे के लिये बदल-बदल कर दो-दो सिक्यूरिटी प्रातः 8:00 बजे, दो सुरक्षा गार्ड दिन 2:00 बजे और दो सुरक्षा गार्ड रात्रि 10:00 बजे से ड्यूटी करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार 24 घंटे में कुल 6 सिक्यूरिटी गार्ड की आवश्यकता रहेगी। सुरक्षा गार्ड की आयु 50 वर्ष से अधिक न हो।
10. एक अथवा दो गार्डों द्वारा ही लगातार ड्यूटी करते पाये जाने पर निविदा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
11. गार्डों की अनुपस्थिति की दशा में सिक्यूरिटी एजेंसी की भुगतान राशि काट ली जाएगी।
12. महाविद्यालय में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब छात्रों की अत्याधिक भीड़ होती है ऐसी स्थिति में आपको सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिये अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड लगाये जाने के लिये कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आपको महाविद्यालय को अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने होंगे। जिसके लिये मानदंये का भुगतान आपको अलग से (आपसे अनुबंधित दरों पर) किया जायेगा।
13. 15 दिवस की पूर्व सूचना पर सिक्यूरिटी एजेंसी की सेवा समाप्ति का अधिकार प्राचार्य को होगा।
14. सुरक्षा एजेंसी के रूप आपकी नियुक्ति एक वर्ष के लिये की जायेगी। कार्य संतोषजनक होने पर इसे पूनः एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। इस प्रकार सुरक्षा एजेंसी का कार्यकाल कुल दो वर्ष रहेगा।
15. प्राप्त निविदायें अंतिम तिथि के बाद अगले कार्य दिवस को अपराह्न 11:00 बजे रुसा सभागार में क्रय समिति के द्वारा खोली जायेगी। इसमें निविदादाता/उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
16. सुरक्षा एजेंसी के कार्य और सेवाओं की निगरानी के लिये महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों की एक समिति बनाई जायेगी जो समय-समय पर अपनी अनुशंसा प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
17. सेवा शर्तों में कर्मी पाये जाने पर जनभागीदारी समिति को आर्थिक दण्ड लगाने का अधिकार होगा। सेवा कार्य और शर्तों में कमी लगात दोहराये जाने पर धरोहर राशि जप्त कर 15 दिवस की पूर्व सूचना देकर सुरक्षा एजेंसी की नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
18. सुरक्षा एजेंसी को नियुक्ति पत्र में दर्शाए गए दिनांक से अपना कार्य प्रारंभ करना होगा। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चयनित एजेंसी को प्राचार्य/सचिव जनभागीदारी समिति से एक अनुबंध भी संपादित करना होगा।
19. चयन प्रक्रिया के संबंध में प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
20. मोहरबंद निविदा प्रस्ताव के लिफाफे पर सुरक्षा एजेंसी की नियुक्ति के लिये निविदा 2024 अवश्य लिखें।
21. उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर निविदा निरस्त की जायेगी।
22. महाविद्यालय में भविष्य की आवश्यकताओं को वृद्धिगत रखते हुये अतिरिक्त गार्ड व्यवस्था स्वीकृत निविदा की दरों पर करना होगा।
23. सुरक्षा एजेंसी पर न्यायालय द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसका शपथ पत्र देना होगा।